(b) Does not arise.

691. *[Transferred to 5th March, 1993]*

Supply of essential commodities to Gujarat under PDS

692. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is the monthly quota fixed for various essential commodities distributed through P.D.S. for the State of Gujarat, Commodity-wise;

(b) what is the actual release of quota to the State Government, month-wise and item-wise during the last 6 months;

(c) whether it is a fact that there is a short fall in quota for Gujarat, if so, what are the reasons therefor; and

(d) what action is being taken by Government to meet the recent requirement of the State Government

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (d) A statement showing the monthly allocation and lifting of various essential commodities distributed through the PDS in respect of Gujarat during July, 1992 to December, 1992 is given in the Annexure. [*See* Appendix CLXVI, Annexure No. 15]

Allocation of PDS comodities to all State/UTs including Gujarat are made after taking into account overall availability of stocks in the Central Pool, inter-se requirements of States/UTs, seasonal factors etc. Allocations of PDS commodities are supplemental in nature and are not meant to meet the total requirements of any State/UT.

आदिवासी परिवारों को खाद्यान्नों की आपूर्ति

693. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रत्येक आदिवासी परिवार को कम से कम 20 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) लगभग 1700 ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सम्पुष्ट करने के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श के दौरान राज्य सरकारों ने सुझाव दिया कि सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में प्रति परिवार प्रति महीना 20 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रावधान करना वांछनीय होगा। समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के तहत आने वाले सभी ब्लाक, असम के कार्बी एंगलांग/उत्तर कछार जिले तथा आदिवासी बहुल राज्य सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं। किसी राज्य के भीतर ब्लाकों को खाद्यान्नों का पारस्परिक आबंटन करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की मात्रा से संबंधित मामलों का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने राज्यों द्वारा सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले क्षेत्रों को आबंटन के लिए प्रतिवर्ष खाद्यान्नों की अतिरिक्त 20 लाख मी॰ टन मात्रा नियत की है। यह आबंटन, राज्य सरकारों द्वारा सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ब्लाकों को पहले से किए जा रहे आबंटनों के अतिरिक्त है।